न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 14/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
इन्द्रराज पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी सांजू तहसील सांजू जिला नागौर।		1 तहसीलदार सांजू 2 पटवारी हल्का सांजू।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

दिनांकः 20.09.2022

निर्णय

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, सांजू द्वारा प्रकरण सं. 01/2022 अनवान पटवारी सांजू बनाम इन्द्रराज में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.03.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील दिनांक 04.04.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में मुकदमा नम्बर 1/22 के आदेश दिनांक 16.03.2022 की फोटोप्रति, फर्दअहकाम दिनांक 14.03.22 से 16.03.2022 की फोटो प्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, खसरा संख्या 558 की जमाबंदी, बेचाननामा–2 की फोटोप्रतियां पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि–

{2}(I)–आदेश जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यों, परिस्थितियों, राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य व रेकर्ड के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वातों की अवहेलना कर पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–जिस बाडे के संदर्भ में अपीलांट के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया। वो आवेदन एकपक्षीय रूप से प्रस्तुत किया गया तथा आज दिन उक्त भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 0.02 हैक्टेयर का खातेदार अपीलांट/प्रार्थी है। लेकिन अपीलांट व प्रार्थी को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय रूप से जेर अपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित किया गया हैं, जो कि विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)–रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के उक्त गैर मुमकिन बाडे पर किसी प्रकार की जांच किये बगैर तथा दस्तावेजो का अवलोकन किये बगैर वर्तमान में आज दिन उक्त जायगा/बाडे का अपीलांट खातेदार है तथा अपीलांट द्वारा जो भी कार्य उक्त बाडे में किया जा रहा था, वो कृषि कार्य से संबंधित कार्य था, जिसमें अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया है। जिसमें भी अपीलांट द्वारा किसी प्रकार से उक्त भूमि पर कृषि से अकृषि का कार्य नहीं किया गया है। अपितु कृषि से संबंधित कार्य कर रहा था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा गलत रूप से रिपोर्ट/आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बगैर जेर अपील आदेश एकपक्षीय रूप से विधि विरूद्व रूप से पारित किया गया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–उक्त खसरा नम्बर 558 के पुराने खसरा नम्बर 309/3 रकबा 05 बिस्वा भूमि में से इन्द्रकला पत्नी रामानुज जाति महाजन द्वारा 03 बिस्वा भूमि जो कि उसके द्वारा नन्दकुमार पुत्र रामाकिशन कौम ब्राह्मण से जरिये रजिस्टर्ड बेचान से खरीद की गई थी तथा बाद क्रय करने इन्द्रकलां पत्नी रामानुज महाजन ने अपनी खरीदसुदा व कब्जासुद भूमि खसरा नम्बर 309/3 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा का रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय सांजू में उपस्थित होकर उक्त बाडे का रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज इन्द्रराज पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी सांजू के पक्ष में दिनांक 02.04.2003 को निष्पादित करवाकर बेचान दस्तावेज

अपर कलक्टर, नागौर

संख्या 137/2003 निष्पादित करवा दिया था। बेचान की गई भूमि का इन्द्रराज पुत्र पन्नाराम का मौके पर कब्जा करवा दिया। उक्त बेचान दस्तावेज में भी इन्द्रकलां द्वारा अपनी बेचान की गई भूमि के पडोस अंकित किये गये हैं, जिसमें उतर दिशा में पडत भूमि, दक्षिण में सडक खाटू–कुचेरा, पूर्व में पडत भूमि, पश्चिम में रामनिवास पुत्र पन्नाराम जाट का प्लॉट है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 562 तथा पुराने खसरा नम्बर 309/3 है। इस प्रकार से गांव सांजू के पुराने खसरा नम्बर 309/3 रकबा 05 बिस्वा भूमि के बाद बेचान 03 बिस्वा भूमि इन्द्रराज पुत्र पन्नाराम एवं 02 बिस्वा भूमि रामनिवास पुत्र पन्नाराम के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज संख्या 137/2003 एवं 269/2000 के द्वारा खरीद की गई है। जिसके पडोस व नाम खसरा नम्बर 309/3 के नये खसरा नम्बर 558 रकबा वर्तमान में 0.02 हैक्टेयर है, जबकि उक्त खसरा का रकबा 0.04 हैक्टेयर होना चाहिए, जो भी राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो रखा हैं, क्योंकि रामनिवास की खरीदसुदा भूमि के नये खसरा नम्बर 562 रकबा 0.02 हैक्टेयर दर्ज करते हुए उक्त खसरा को गलत स्थान पर यानि खसरा नम्बर 561 के उतर दिशा में गलत तरमीम किया गया है जबकि मौके पर शुरू से ही खसरा नम्बर 309/3 रकबा 5 बिस्वा जहां मौके पर स्थित थी, उसी जगह आज दिन खसरा नम्बर 558 रकबा 0.04 हैक्टयर मौके पर इन्द्रराज पुत्र पन्नाराम एवं रामनिवास पुत्र पन्नाराम की आई हुई है तथा उसी अनुसार मौके पर उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज होने से लेकर आज दिन तक अपीलांट एवं उसके भाई रामनिवास द्वारा भूमि का उपयोग बाडे के रूप में किया जा रहा है। लेकिन उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजो का अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अवलोकन किये बगैर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किसी प्रकार की जांच किये बगैर गलत रूप से अपीलांट के विरूद्व आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झुठा आवेदन प्रस्तुत कर दिया तथा उक्त आवेदन पर विश्वास करते हुए एकपक्षीय रूप से गलत रूप से जेर अपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने तथा विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य व पुराने दस्तावेज विक्रय पत्र खतौनियां आदि प्रस्तुत की गई तथा अपीलांट द्वारा अपना जवाब भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उक्त खसरा नम्बर 558 के पुराने खसरा नम्बर 309/3 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा की आई हुई थी। उक्त भूमि की खातेदारी नन्दकुमार पुत्र रामाकिशन के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा नन्दकुमार द्वारा उक्त भूमि में से 02 बिस्वा भूमि नामनिवास पुत्र पन्नाराम जाट को उप पंजीयक कार्यालय सांजू में बेचान कर दस्तावेज निष्पादित करवा दिये। उक्त बेचान दस्तावेज के पडोस में पश्चिम दिया में रामपाल पुत्र भगवानाराम जाट का बाडा पूर्व दिशा में इन्द्रकलां मोदानी का बाडा, उतर में पडत भूमि, दक्षिण में आम सडक स्टेट हाईवे कुचेरा खाटू आई हुई है एवं इस दिशा में प्लोट का निकाल है। उक्त प्लोट का क्षेत्रफल 26.40 गुणा 66 फुट है। बाद क्रय करने रामनिवास पुत्र पन्नाराम गोदारा द्वारा ही उक्त प्लोट का अपनी सुविधा अनुसार उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। री सेटलमेन्ट के पश्चात उक्त रामनिवास की क्रय सुदा भूमि के नये खसरा नम्बर 562 रकबा 0.02 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिये गये तथा राज्य सरकार द्वारा री–सेटलमेन्ट किये जाने के दौरान रामनिवास की उक्त क्रयसुदा भूमि को नजरी नक्शा में रेवेन्यू कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 561 के उतर में गलत तरमीम दर्शा दी गई हैं जबकि आज दिन भी रामनिवास का उक्त प्लोट मौके पर बेचान दस्तावेज संख्या 269/2000 में वर्णित पडोस बीच की भूमि पर ही स्थित है। रामनिवास के उक्त प्लोट के दक्षिणी दिशा में स्टेट हाईवे कुचेरा खाटू स्थित है। जिस हेतु रामनिवास की ओर से उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना में गलत से कार्यवाही पेश की जायेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में जो भूमि बतलाई गई है। उसके चिपते भूमि को ही कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से दूसरी जगह गलत तरमीम कर दूसरी जगह बताने का प्रयास किया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा की गई गलती को नजरअंदाज करते हुए तथा अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज अपने हक में होने के प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व तरीके से जेर अपील आदेश पारित किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VI)– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का के द्वारा जो धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पेश किया। उसकी मूल पत्रावली 90क प्रस्तुत की गई। जिसमें दिनांक 14.03.2022 की आदेशिका में दर्ज है। लेकिन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आदेशिका में दिनांक 14.03.2022 को कांट छांट करते हुए 16.03.2022 गलत रूप से लिखी गई तथा आदेशिका की तारीख में काट छांट किया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जो मौका रिपोर्ट मूल पत्रावली में प्रस्तुत की गई हैं, उसमें जो मौका पर्चा पटवारी हल्का तैयार किया गया है। उसमें भी तारीख में काट छांट है तथा उस मौका पर्चा में तारीख 14.03.2022 लिखी गई है एवं उसी मौका पर्चा के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा उसी दिन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना तथा उसी दिन स्थगन आदेश पारित करना तथा उसके बाद तारीख की काट छांट करते हुए तारीख 14 की जगह तारीख 16 दर्ज करना तथा अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आनन फानन में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पटवारी हल्का की मौका पर्चा व आवेदन पर अत्यधिक विश्वास करते हुए एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश भी पारित करना तथा उक्त भूमि जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। वो भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि गैर मुमकिन बाडा स्थित होने के उपरांत भी खातेदार को बिना सुने खातेदार के विरूद्व ईर्ष्यावश, द्वेषतावश एवं बडी राजनैतिक दबाव के चलते गलत रूप से आदेश पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बिना क्षेत्राधिकार होते हुए भी एक आवेदन जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की पत्रावली के साथ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन बिना क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के होने के उपरांत भी गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं होने के उपरांत भी गलत रूप से जेर अपील आदेश परित कर दिया। जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि मौजा सांजू मे खसरा नं. 558 की भूमि को कृषि भूमि से संबंधित होने के कारण उक्त भूमि को कृषि कार्य के अलावा अन्य किसी भी कार्य हेतु काम में नहीं ले सकते तथा उक्त भूमि में पक्का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। तहसीलदार सांजू द्वारा प्रकरण सं. 01/2022 अनवान पटवारी सांजू बनाम इन्द्रराज में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.03.2022 को प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोनो पक्षों को सुनकर ही आदेश जेर अपील पारित किया गया है। पटवारी के बयान के अनुसार भी खसरा नम्बर 558 में दुकान निर्माण का कार्य किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि अनुसार ही पारित होना प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर